शासन-प्रशासन

वार्ड 14-16 के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मिलन समारोह आयोजित

इंदौर | देपालपुर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड-14 और 16 के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मिलन एवं सम्मान समारोह छोटा बांगड़दा रोड स्थित वैष्णव नामदेव छिपा समाज धर्मशाला में आयोजित किया गया।

यह आयोजन कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल के मार्गदर्शन में हुआ। मुख्य अतिथि शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष चिंटू चौकसे एवं पूर्व जिला संघ अध्यक्ष व क्षत्रिय कलोता समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष राधेश्याम पटेल थे। कार्यक्रम में जितेंद्र ठाकुर, ईश्वर जोशी, परिहार, जगदीश जोशी, मुकेश यादव, नहार भदौरिया, दिनेश तंवर, गोविंद मालवीय, शुभम गौड़, संजय यादव और मुन्ना यादव आदि उपस्थित थे।

कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक हुई

इंदौर | विधानसभा क्षेत्र-4 के कांग्रेस नेता-पदाधिकारियों की बैठक हुई। इसमें सभी पदाधिकारियों ने इस बार इस सीट को जीतने का संकल्प लिया। बैठक में शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे, कोषाध्यक्ष एवं विधानसभा क्षेत्र प्रभारी शैलेष गर्ग, शहर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष विनय बाकलीवाल, महामंत्री बिट्टू शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष जतिन थोरात सब अन्य लोग शामिल हुए। शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा- 15 जून से मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने और घटाने का कार्य शुरू होगा। ऐसे में सभी कार्यकर्ता अपने वार्ड में सक्रिय हों, नए युवाओं के नाम जुड़वाएं। जनता की समस्याओं को लगातार उठाने की बात भी कही गई। साथ ही शहर में नलों से आ रहे गंदे पानी को लेकर कहा- जहां भी गंदा पानी आ रहा है, वहां के सैंपल लेकर आएं, सभी यह पानी के सैंपल महापौर को देंगे।

भर्तियों में आरक्षण • जीएडी ने पुनर्गठित व नवगठित जिलों के लिए 100 बिंदुओं का रोस्टर बनाया

सीधी भर्ती के पदों के लिए... 6 जिलों में आरक्षण रोस्टर जारी, सबसे ज्यादा छिंदवाड़ा में 73 फीसदी

पॉलिटिकल रिपोर्टर | भोपाल

राज्य सरकार ने प्रदेश के पुनर्गठित और नवगठित जिलों के लिए जिला स्तरीय सीधी भर्ती के पदों के लिए नया आरक्षण रोस्टर जारी कर दिया है, जिसके अनुसार सबसे ज्यादा छिंदवाड़ा जिले में भर्तियों में आरक्षण 73 प्रतिशत होगा। सरकार द्वारा यह कदम मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियमों में संशोधन के तहत उठाया है।

सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) के द्वारा जारी इस सर्कुलर से प्रदेश के 3 पुनर्गठित जिलों छिंदवाड़ा, सतना और रीवा का संशोधित और 3 नए बने जिलों मैहर, मऊगंज और पांढुर्णा का नया जिला स्तरीय 100 बिंदुओं का रोस्टर बनाया है। इस नए रोस्टर के अनुसार जिलों में वहां की जनसंख्या की स्थिति के आधार पर आरक्षण का प्रतिशत तय किया गया है।

संशोधित आरक्षण: किस वर्ग को कितना प्रतिशत

- **जिला सतना संशोधित आरक्षण का कुल प्रतिशत 68 प्रतिशत –** ओबीसी 27 प्रतिशत, अनुसूचित जाति 19 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति 12 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस को 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।
- **जिला रीवा संशोधित आरक्षण 66 प्रतिशत –** ओबीसी 27 प्रतिशत, अनुसूचित जाति 16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति 13 प्रतिशत और ईडब्ल्यूएस 10 प्रतिशत।
- **जिला छिंदवाड़ा 73 प्रतिशत –** अनुसूचित जनजाति 39% (जिले में सर्वाधिक), ओबीसी 14% व अनुसूचित जाति 11% व ईडब्ल्यूएस के लिए 9% आरक्षण दिया गया है।
- **मैहर जिला नया बना है, आरक्षण 71% –** ओबीसी के लिए 27%, अनुसूचित जाति 19% और अनुसूचित जाति 15% तथा ईडब्ल्यूएस का आरक्षण 10% होगा।
- **मऊगंज नया जिला बना है, जहां आरक्षण 69 प्रतिशत होगा –** ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के लिए 18 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए 14 प्रतिशत और ईडब्ल्यूएस के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।
- **पांढुर्णा नया जिला बना है, जहां आरक्षण 72 प्रतिशत होगा –** ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए 25 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के लिए 10 प्रतिशत और ईडब्ल्यूएस का आरक्षण 10 प्रतिशत होगा।

आरक्षण का पुराना ढांचा

नए जिलों मैहर, मऊगंज और पांढुर्णा के गठन व पुराने जिलों की सीमाओं में बदलाव के कारण वहां जिला स्तरीय स्थानीय सरकारी नौकरियों (तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के सीधी भर्ती के पद) में आरक्षण का पुराना ढांचा व्यावहारिक नहीं रह गया था। इस नए रोस्टर से इन जिलों में प्रशासनिक नियुक्तियों का रास्ता साफ होगा। जिला स्तरीय रोस्टर का सबसे बड़ा सिद्धांत यह होता है कि स्थानीय स्तर पर जिस वर्ग की जितनी आबादी है, उसे सरकारी नौकरियों में उतना उचित प्रतिनिधित्व मिले। यही कारण है कि जहां आदिवासी बहुल छिंदवाड़ा में एसटी को 39% आरक्षण दिया गया है, वहीं विंध्य क्षेत्र के मऊगंज में SC वर्ग को 18% और सतना में 19% आरक्षण का प्रावधान किया है। आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि यह आरक्षण रोस्टर न्यायालयीन आदेशों के अधीन रहेगा।

नक्सलवाद खत्म, अब विकास को देंगे नई गति : मुख्यमंत्री

पीएम की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की बैठक

भास्कर न्यूज़ | भोपाल/नईदिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश की विकास योजनाओं और उपलब्धियों को प्रस्तुत किया।

सीएम ने कहा कि विकसित भारत @2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए केंद्र और राज्यों की साझी भागीदारी जरूरी है और मध्यप्रदेश सुशासन, समावेशी विकास तथा जनकल्याण के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश ने केंद्र द्वारा तय समय-सीमा से पहले नक्सलवाद के खात्मे में सफलता हासिल की है। अब नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण, किसान कल्याण, नए मेडिकल कॉलेजों, आयुष्मान योजना, आरोग्य मंदिरों, नदी जोड़ो परियोजनाओं, पीएमश्री महाविद्यालयों, कौशल विकास और औद्योगिकीकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। धार में स्थापित पीएम मित्र पार्क सहित कई नई परियोजनाएं प्रदेश के विकास को नई दिशा देंगी।

संयंत्र सहायक प्रशिक्षुओं को नियुक्ति पत्र

भोपाल | मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड (एमपीपीजीसीएल) ने दस्तावेज सत्यापन पूरा होने के बाद 61 चयनित संयंत्र सहायक प्रशिक्षुओं को नियुक्ति प्रस्ताव पत्र जारी किए हैं। कंपनी के अनुसार सीधी भर्ती के तहत श्रेणी-3 के पदों में मैकेनिकल के 36 और इलेक्ट्रिकल के 25 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। सभी को उनके आवंटित पदस्थापना स्थल पर उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। कंपनी ने अभ्यर्थियों से कहा है कि वे नियुक्ति पत्र में दिए निर्देश ध्यान से पढ़ें और तय समय-सीमा में आवश्यक दस्तावेजों के साथ रिपोर्ट करें।

परिवहन विभाग: 822 कर्मचारियों पर 2.42 करोड़ वाहनों का जिम्मा

भोपाल| प्रदेश में वाहनों की संख्या 2.42 करोड़ के पार पहुंच गई है, लेकिन पंजीयन, फिटनेस, परमिट, प्रवर्तन और सड़क सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहा परिवहन विभाग कर्मचारियों की भारी कमी से जूझ रहा है। विभाग में वर्ष 2011 के बाद से पदों की संख्या नहीं बढ़ाई गई है। स्थिति सुधारने के लिए परिवहन आयुक्त कार्यालय ने 15 साल बाद काडर रिव्यू का प्रस्ताव तैयार किया है। इसके तहत स्वीकृत पदों में करीब 20 प्रतिशत वृद्धि का सुझाव दिया गया है। प्रस्ताव जल्द वित्त विभाग को भेजा जाएगा, जिसके बाद कैबिनेट में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। विभाग में 1696 स्वीकृत पद हैं, लेकिन 874 पद खाली हैं। यानी 51 प्रतिशत से अधिक पद रिक्त हैं और विभाग केवल 822 अधिकारियों-कर्मचारियों के भरोसे चल रहा है।

काडर रिव्यू से क्या बदलेगा

वर्तमान में 1696 स्वीकृत पद हैं। यदि काडर रिव्यू के तहत पदों में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी होती है, तो विभाग में 339 नए पद सृजित होंगे। इससे स्वीकृत पदों का ढांचा 2000 के पार पहुंच जाएगा। इससे 2.42 करोड़ वाहनों के प्रबंधन के लिए पर्याप्त मैनपावर भी मिल सकेगी।

आईआईटी इंदौर का 14वां दीक्षांत समारोह 27 को

इंदौर | इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आईआईटी), इंदौर का 14वां दीक्षांत समारोह 27 जून, शनिवार को होगा। विभिन्न विभागों के सफल छात्र-छात्राओं को डिग्रियां, जबकि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावियों को गोल्ड और सिल्वर मेडल प्रदान किए जाएंगे।

समारोह के मुख्य अतिथि नीति आयोग के सदस्य और भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पूर्व सचिव प्रो. अभय कारंडीकर होंगे। वहीं, अध्यक्षता भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के पूर्व चेयरमैन और वर्तमान में आईआईटी इंदौर के बीओजी के चेयरपर्सन डॉ. के. सिवन करेंगे। समारोह दोपहर 2.30 बजे से होगा। शुरुआत में आईआईटी इंदौर के डायरेक्टर संस्थान की वार्षिक प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश करेंगे। कैंपस से दूर बैठे पैरेंट्स, पूर्व छात्र भी इस समारोह का हिस्सा बन सकें, इसके लिए कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आईआईटी इंदौर के वेब पोर्टल पर किया जाएगा।

बगवाज में उद्योग नगर का प्रस्ताव शासन ने लौटाया

श्योपुर| सरकार युवाओं को स्वरोजगार और उद्योगों से जोड़ने के लिए कई योजनाएं चला रही है, लेकिन श्योपुर जिले में विकसित औद्योगिक भूमि की कमी अब भी बनी हुई है। जिला मुख्यालय के पास बगवाज क्षेत्र में प्रस्तावित 8 हेक्टेयर के नए उद्योग नगर का प्रस्ताव शासन ने लौटा दिया है। वजह यह रही कि सड़क, नाली और अन्य आधारभूत सुविधाओं के निर्माण के बाद उद्योगों के लिए केवल 3 से 4 हेक्टेयर भूमि ही बचती, जो परियोजना की लागत के अनुपात में पर्याप्त नहीं मानी गई।

बगवाज का प्रस्ताव निरस्त होने के बाद उद्योग विभाग ने नई जमीन की तलाश शुरू की। इसके तहत नागदा क्षेत्र में सायलो के पास करीब 10 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है। यहां लघु उद्योग निगम की तकनीकी टीम सर्वे और सीमांकन का कार्य पूरा कर चुकी है।

पंजाब नैशनल बैंक punjabnationalbank

मंडल कार्यालय इन्दौर : 20, स्नेह नगर, सपना संगीता मेन रोड, इंदौर – 452 001, दूरभाष : 0731-2438011, ई-मेल: coindgad@pnb.bank.in

परिसर की आवश्यकता

पंजाब नेशनल बैंक को शाखा एवं एटीएम के लिए जगह सहित उपयुक्त, तैयार और अच्छी तरह से निर्मित हॉल प्रकार की इमारत पट्टे/किराए पर चाहिए। परिसर अधिमानतः भूतल पर होना चाहिए और यदि प्रथम मंजिल पर है, तो उसमें निम्नलिखित अनुसार लिफ्ट की सुविधा होनी चाहिए:

साइट	ज़िला	क्षेत्रफल आवश्यक	स्थान
पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र	धार	(1400-1800) वर्ग फीट, जिसमें एटीएम के लिए जगह भी शामिल (व्यावसायिक)	सेक्टर 1 पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र
एयरपोर्ट रोड, इंदौर	इंदौर	(1400-1800) वर्ग फीट, जिसमें एटीएम के लिए जगह भी शामिल (व्यावसायिक)	पंजाब नेशनल बैंक साधना नगर एयरपोर्ट रोड शाखा के पास

प्रस्तावित परिसर के पास वैधानिक अधिकारियों से प्राप्त सभी अनापत्ति प्रमाण पत्र क्लियरेंस सर्टिफिकेट होने चाहिए। इच्छुक मालिक / वांछित इलाके में ऐसे परिसरों के पंजीकृत मुख्तार-आम (Power of Attorney) धारक, जो अपने उपलब्ध परिसर को लंबी अवधि के पट्टे (लीज़) पर देने के लिए तैयार हैं—विशेष रुप से 15 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए वे अपने प्रस्ताव बैंक की वेबसाइट www.pnb.bank.in पर उपलब्ध निर्धारित प्रारुप में भेज सकते हैं, अथवा, उक्त प्रारुप कार्यालय समय के दौरान उमर दिए गए पते से भी प्राप्त किया जा सकता है। पूर्ण प्रस्ताव, जो विधिवत मुहरबंद और हस्ताक्षरित हो, **दिनांक 18.06.2026 को 15:00 बजे (अपराह्न 3:00 बजे)** या उससे पहले, उमर दिए गए पते पर अधोहस्ताक्षरी के पास पहुँच जाना चाहिए।

बैंक के पास अपने पूर्ण विवेक से, बिना कोई कारण बताए, किसी भी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

बैंक के पास बिना कोई स्पष्टीकरण या कारण दिए, किसी भी नियम और शर्तों की स्वीकार्यता का निर्णय लेने का अधिकार है।

दिनांक 12.06.2026 – स्थान : इन्दौर — मंडल प्रमुख

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार) EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION (MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA) — E.S.I.C.

चिकित्सा शिक्षा प्रकोष्ठ, ईएसआईसी, मुख्यालय MEDICAL EDUCATION CELL, ESIC, HEADQUARTERS पंचदीप भवन: सी. आई. जी. मार्ग, नई दिल्ली-110002 PANCHDEEP BHAWAN: C.I.G. MARG, NEW DELHI-02 ई-मेल: dmc-dle@esic.nic.in; mecell.hq@esic.nic.in

Date: 30.04.2026

ADMISSION NOTICE FOR WARDS OF INSURED PERSONS IN MBBS/BDS/BSC NURSING

This Admission Notice is for admission of 'Wards of Insured Persons' (IP's) in UG course (MBBS/BDS/B.Sc. Nursing) in ESIC Medical / Dental /Nursing colleges & some other government Medical Colleges under ESI scheme who meet the laid down eligibility criteria and have applied for National Eligibility cum Entrance Test (UG)-2026 [NEET (UG)] for Academic Session 2026-27 as per admission policy and procedure approved by the Government of India / ESI corporation. Details are available on the admission link on the ESIC website **esic.gov.in**

चिकित्सा शिक्षा प्रकोष्ठ, क रा बी नि मुख्यालय

दिनांक: 04.05.2026

एमबीबीएस/बीडीएस/बीएससी नर्सिंग में बीमाकृत व्यक्तियों के प्रतिपाल्य (वार्ड ऑफ आईपी) के लिए प्रवेश सूचना

यह प्रवेश सूचना कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम चिकित्सा/दंत्य/नर्सिंग महाविद्यालयों एवं कुछ अन्य सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में पूर्वस्नातक पाठ्यक्रम (एमबीबीएस/बीडीएस/बीएससी नर्सिंग) में 'बीमाकृत व्यक्तियों के प्रतिपालयों' (आईपी) के प्रवेश के लिए है जो निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूर्ण करते हैं और जिन्होंने भारत सरकार / कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा अनुमोदित प्रवेश नीति और प्रक्रिया के अनुसार शिक्षा-सत्र 2026-27 के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (यूजी)-2026 [एनईईटी (नीट) (यूजी)] के लिए आवेदन किया है। विवरण कर्मचारी राज्य बीमा निगम की वेबसाइट **esic.gov.in** पर प्रवेश लिंक पर उपलब्ध हैं।

चिकित्सा शिक्षा प्रकोष्ठ, एसिक मुख्यालय

Bank of India — रिश्तों की जमापूंजी Relationship beyond banking

आंचलिक कार्यालय : स्टार हाउस, प्लॉट 9-आरसी, स्कीम नं. 134, एम.आर.-10, स्टार चौराहे के पास, इन्दौर – 452010, फोन 2445122-117-147

अचल संपत्ति का कब्जा नोटिस {नियम 8(1)}

बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी के रुप में अधोहस्ताक्षरी ने वित्तिय अस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नीचे दर्शाये गए उधार कर्ता / जमानतदार को यह डिमांड नोटिस जारी किया था कि वे उक्त नोटिस प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर नीचे उल्लिखित राशि का भुगतान करने की दिनांक तक ब्याज, आकस्मिक व्यय, खर्च, प्रभार के साथ चुकता कर दें। चुंकि उधारकर्ता /जमानतदार / बंधककर्ता उक्त अवधि में आगामी ब्याज के साथ उक्त राशि अदा करने में असफल रहें हैं, इसलिए उधारकर्ता /जमानतदार / बंधककर्ता और आम जनता को एतद् द्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि **बैंक ऑफ इंडिया** के प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त धारा के नियम 8 (1) के साथ उधारकर्ता / जमानतदार के सामने उल्लिखित पठित उक्त अधिनियम की धार 13(4) के तहत अधिकारों का प्रयोग करते हुए नीचे बतायी गई संपत्तियों का कब्जा ले लिया है। एतद् द्वारा उधारकर्ता/जमानतदार / बंधककर्ता को विशेष रुप से तथा सामान्य रुप से जनता को सूचित किया जाता है कि वे इस संपत्ति के साथ कोई व्यवहार न करें और उक्त संपत्तियों से संबंधित किया गया कोई भी संव्यवहार उधारकर्ता/जमानतदार के समक्ष दर्शाये गई राशि और उन राशि पर ब्याज पर **बैंक ऑफ इंडिया** के प्रभार के अधीन होगा। **उधारकर्ता / जमानतदार का ध्यान धारा 13 की उपधारा 8 के तहत उपलब्ध समय में सुरक्षित संपत्तियों के मोचन के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।**

ऋणी का नाम	₹ बकाया राशि	अंचल संपत्ति विवरण	13/2 सूचना दिनांक / कब्जा दिनांक
श्रीमती दीपिका शर्मा और श्री विशाल शर्मा	₹ 51,53,267.60 + ब्याज एवं अन्य व्यय	संपत्ति के समस्त भू भाग व अंश फ्लेट नंबर 206 श्री विनायक हेरिटेज ब्लॉक-ए II, दूसरी मंज़िल पर स्थित, म्यु. पा. नंबर 14 जूना इंदौर, महल-कचहरी रोड, चंद्रभागा (गली) इंदौर, सुपर बिल्ट-अप एरिया 1016 वर्ग फीट, इंदौर जिला में स्थित, **चतुर्सीमा : उत्तर** में ब्लॉक-बी, **दक्षिण** में प्रकोष्ठ नंबर 201, **पूर्व** में रोड़, **पश्चिम** में प्रकोष्ठ नंबर 205	02.03.2026 / 08.06.2026

स्थान : इन्दौर, दिनांक : 11.06.2026 — प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया

Bank of India — रिश्तों की जमापूंजी Relationship beyond banking

आस्ति वसूली शाखा, आंचलिक कार्यालय प्लॉट नंबर 9-आरसी, स्कीम नंबर 134, एम. आर-10 इंदौर (म .प्र.) 452010 फोन नम्बर 0731-2445122, 212 Email: arb.indore@bankofindia.bank.in

अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना

ई-नीलामी विक्रय सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन, हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना

आल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना आम लोगों को और विशेष रुप से उधार लेने वाले/जमानतदारों को यह नोटिस दिया जाता है कि निम्न वर्णित सारणी के कॉलम 3 में उल्लिखित अचल संपत्ति जो **प्रतिभूत लेनदार (बैंक ऑफ इंडिया)** के पास गिरवी / प्रभारित है, जिसका सांकेतिक/भौतिक कब्जा प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **''जहां है ,जैसा है और जो कुछ भी है ''** के आधार पर निम्नलिखित तालिका के कॉलम 2 में उल्लिखित ऋणी एवं जमानतदारों से बैंक ऑफ इंडिया (प्रतिभूत लेनदार) की निम्नलिखित तालिका के कॉलम 4 में उल्लिखित राशि की वसूली हेतु **दिनांक 09.07.2026** को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य एवं जमा योग्य अग्रिम धनराशि तालिका के कॉलम 6 व 7 में क्रमशः दी गई है।

ई-नीलामी दिनांक 09.07.2026 को प्रातः 11.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक

शाखा का नाम (1)	ऋणी / जमानतदार का नाम (2)	संपत्ती का विवरण व स्वामी का नाम (3)	मांग सूचना 13(2) के तहत मांग नोटिस दिनांक व बकाया राशि (4)	आधिपत्य की दिनांक व प्रकार (5)	आरक्षित राशि (रू.) (6)	ईएमडी (7)
शाखा एआरबी इन्दौर	**श्री मनोज नागर पिता फूल सिंह नागर** **पता 1:** 17/2 जमीदारी मोहल्ला, ग्राम बरोठा तहसील एवं जिला देवास, मध्य प्रदेश (455001) **पता 2:** सर्वे नंबर 952/1/3 (होटल डायमंड) पी.एच. नम्बर 78, तहसील एवं जिला देवास, मध्य प्रदेश (455001)	परिवर्तित भूमि पर स्थित भूमि और भवन सर्वे नम्बर 952/1/3, ग्राम सिरोलिया, तहसील एवं जिला देवास, **संपत्ति मालिक:** श्री मनोज पिता फूल सिंह नागर, परिवर्तित भूमि का क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर, **संपत्ति की चतुर्सीमा: पूर्व:** विक्रेता की शेष भूमि, **पश्चिम:** विक्रेता की शेष भूमि, **उत्तर:** बरोठा रोड, **दक्षिण:** नथुलाल जी की भूमि।	01.06.2023 ₹ 49,20,427.35 + ब्याज एवं अन्य खर्च	16.08.2023 सांकेतिक	₹ 51.25 लाख	₹ 5.13 लाख
शाखा एआरबी इन्दौर	**1. श्रीमती पिंकी मीना पति स्व. श्री सचिन मीना,** **2. मास्टर ऋषि मीना पिता स्व. श्री सचिन मीना,** **प्राकृतिक संरक्षक श्रीमती पिंकी मीना के माध्यम से,** **3. मास्टर समर मीना पिता स्व. श्री सचिन मीना,** **प्राकृतिक संरक्षक श्रीमती पिंकी मीना के माध्यम से** **सभी निवासी** हनुमान मंदिर के पास, देशवाली मोहल्ला ग्राम बरुड़ पोस्ट बरुड़ जिला खंडवा-450771 (म.प्र.), **(सभी स्व. श्री सचिन मीना के कानूनी उत्तराधिकारी)**	अचल संपत्ति के समस्त भू भाग एवं अंश खसरा नम्बर 68/2, पीएच नम्बर 38, ग्राम भातलपुरा, तहसील भीकनगांव, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश, क्षेत्रफल 0.405 हेक्टेयर, साथ में संयंत्र और मशीनरी, **संपत्ति मालिक:** श्री सचिन मीना पिता बलिराम मीना, **चतुर्सीमा: – उत्तर:** – खरगोन देशगांव रोड, **दक्षिण:** – रास्ता, **पूर्व:** – रास्ता बाद भरू की भूमि, **पश्चिम:** – इसी नम्बर की शहनाज को बिक्री की भूमि **(नोट– उसी भूमि पर प्लांट एवं मशीनरीज स्थित है, इसलिए औद्योगिक भूमि, भवन , संयंत्र मशीनरी एवं उपकरण की एक ही बोली लगेगी)**	11.09.2024 ₹ 49,24,632.96 + ब्याज एवं अन्य खर्च	19.02.2026 सांकेतिक	औद्योगिक भूमि और भवन ₹ 30.46 लाख; संयंत्र मशीनरी और उपकरण ₹ 13.50 लाख; औद्योगिक भूमि, भवन, संयंत्र और उपकरण की कुल आरक्षित और ईएमडी कीमत ₹43.96लाख	₹ 3.05 लाख; ₹ 1.35 लाख; ₹4.40लाख
शाखा एआरबी इन्दौर	**श्री आतिश सेलार पिता हनुमंत राव सेलार (उधारकर्ता),** **पता :** – 26/4 वार्ड नंबर 1 नर्मदा कॉलोनी, नर्मदा मार्ग, खातेगांव, जिला देवास (म.प्र.) 455336 **श्रीमती श्वेता सेलार पति आतिश सेलार (सह–उधारकर्ता),** **पता :** – 26/4 वार्ड नंबर 1 नर्मदा कॉलोनी, नर्मदा मार्ग, खातेगांव, जिला देवास (म.प्र.) 455336	आवासीय संपत्ति के सभी प्रमुख अंश व भू भाग भूमि एवं भवन, हाउस नं. 96, सर्वे नं. 338/3/1, पीएच नं. 37, वार्ड नं. 6, कन्नौद रोड, खातेगांव, जिला, देवास, म.प्र. में स्थित, **प्लॉट क्षेत्रफल 167.28 वर्ग मीटर,** **मालिक श्री आतिश सेलार पिता हनुमंत राव सेलार,** **चतुर्सीमा : पूर्व** में श्रीमती द्वारका बाई का मकान, **पश्चिम** में श्रीमती तारा बाई जोशी का मकान, **उत्तर** में बाबूलाल का मकान, **दक्षिण** में इंदौर-हरदा रोड	06.04.2024 ₹60,81,482.45 + ब्याज एवं अन्य खर्च	12.12.2025 भौतिक	₹ 57.60 लाख	₹ 5.76 लाख

क्रेता के द्वारा स्टाम्प शुल्क, बिक्री प्रमाण पत्र शुल्क, पंजीकरण शुल्क, टी.डी.एस. सरकार को देय सभी वैधानिक बकाया, कर और दरों और संपत्तियों से संबंधित कोई अन्य खर्च, मौजूदा और भविष्य, दोनों के लिए देय होगा। बिक्री प्रमाण पत्र केवल सफल बोलीदाता के नाम से ही जारी किया जाएगा।

ई-नीलामी सेवा प्रदाता की वेबसाईट **https://baanknet.com** बोलीकर्ता **https://baanknet.com**, नियम व शर्तों की अधिक जानकारी हेतु शैक्षणिक वीडियो के साथ देख सकते है। बोलीकर्ता को पूर्व में ही बोली पंजीयन की सभी औपचारिकताएं पूर्ण करना अनिवार्य है। नीलामी से संबंधित सभी जानकारी ई-नीलामी दिनांक से पहले ही प्राप्त कर लेने की सभी जवाबदारी बोलीकर्ता की रहेगी।

ए. सफल बोलीकर्ता को घोषणा के तुरंत बाद बिक्री मूल्य का 25 % (पहले से भुगतान की गई ईएमडी घटाकर) जमा करना होगा।

बी. नीलामी- बिक्री की कार्यवाही में बैंकिंग लेनदेन का समय समाप्त होने के पश्चात, खरीद मूल्य का 25 % (पहले से भुगतान की गई ईएमडी घटाकर) अगले कार्य दिवस तक जमा कराना होगा।

सी. बिक्री मूल्य की शेष राशि का भुगतान बिक्री की दिनांक से 15 वें (पंद्रहवें) दिन के भीतर जमा किया जाना होगा।

डी. उपर उल्लिखित अवधि के भीतर भुगतान न करने पर, जमा और बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति को फिर से बेच दिया जाएगा।

इ. सफल बोलीकर्ता की यह जिम्मेदारी होगी की आयकर अधिनियम की धारा **194-IA** के तहत लागू 1 % की दर से टीडीएस जमा करना होगा, यदि इस तरह के प्रतिफल के लिए जमा या भुगतान की गई राशि का योग रु. 50 लाख या अधिक है। टीडीएस को फार्म **26QB** आनलाईन भरकर जमा कराना होगा और टीडीएस सर्टिफिकेट फार्म **16B** में जारी करना होगा। खरीदार को सरकारी खाते मे आयकर जमा करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

एफ. बोली केवल ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत की जाएगी।

जी. प्राधिकृत अधिकारी का उक्त ई-नीलामी को बिना किसी कारण बताए रद्द करने का सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा।

एच. आरक्षित मूल्य से कम से कम एक वृद्धि राशि जोडने पर ही बोली स्वीकार होगी।

दिनांक : 11.06.2026, स्थान: इन्दौर — प्राधिकृत अधिकारी: बैंक ऑफ इंडिया